

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक-1966 / 15-1 दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर, 26, 2022।

सेवा में,

डिप्टी जनरल मैनेजर
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का०लि०,
वाराणसी।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/APPROACH/155372/2022

विषय:- जनपद-प्रयागराज के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पो०लि० द्वारा प्रयागराज-रीवां रोड एन०एच०-27 (नया एन०एच०-30) के किमी० 44.00 (चैनेज सं०-43.738) के दांयी पटरी पर खसरा सं०-15 ग्राम नारीबारी तहसील-बारा, जिला-प्रयागराज में प्रस्तावित नए रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.68325 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

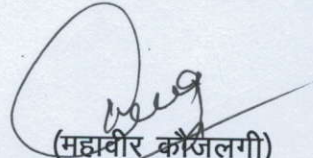
सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/300/2022/एफ०सी०/757, दिनांक 13.12.2022

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है का अवलोकन करने का कष्ट करें। ज्ञातव्य हो कि उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निम्नलिखित 02 बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है-

1. There is another Retail Outlet at a distance of approximately 700 meter. If this is per NHAI norms?
2. The deceleration lane has been proposed for a very long distance. This increases the area requirement. This needs rectification/clarification.

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त वांछित सूचना एवं सम्बन्धित अभिलेख 5 प्रति में शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाहीकी जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


(महावीर कौजिलगी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

o/c



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024. Telefax-2326696
Email: roc2.lko-mefca nic.in

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/300/2022/एफ.सी./757

दिनांक: 13.12.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/APPROACH/155372/2022

विषय: जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. द्वारा प्रयागराज-रीवां रोड एन0एच0-27 (नया एन0एच0-30) के किमी0 44.00 (चैनेज सं0-43.738) के दांयी पटरी पर खसरा सं0-15 ग्राम नारीबारी तहसील बारा जिला प्रयागराज में प्रस्तावित नए रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.68325 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक पी-333/81-2-2022-800(352)/2022, लखनऊ, दिनांक-03.11.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

- 1- There is another Retail Outlet at a distance of approximately 700 meter. If this is as per NHAI norms?
- 2- The deceleration lane has been proposed for a very long distance. This increases the area requirement. This needs rectification/clarification.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।
4. डिप्टी जनरल मैनेजर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., वाराणसी।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]